प्रेस नोट थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर दिनांक 25.04.2025

विदेश भेजने के नाम पर पैसा लेकर अवैध व कूटरचित पासपोर्ट देने तथा पैसा वापस मांगने पर गाली-गुफ्ता देते हुए जान से मारने की धमकी देने के संबंध में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक चौरीचौरा के नेतृत्व में उ0नि0 अजीत कुमार यादव मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 014/2024 धारा 420,406,504,506,467,468,471 भादवि से संबंधित अभियुक्त आकाश सिंह उर्फ अखिलेश सिंह पुत्र सुमन्त सिंह नि0 ग्राम बसडीला छोटा पो0 बडी तिवारी,जिला देवरिया को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर वादी मुकदमा से विदेश भेजने के लिये 36 लोगों का पासपोर्ट व 23 लाख 85 हजार रुपया लेकर तथा छलपूर्वक अवैध व कूटरचित वीजा व एग्रीमेन्ट देकर मुम्बई बुलाया गया तथा मुम्बई पंहुचकर जब वादी मुकदमा फोन किया तब अभियुक्त द्वारा अपना मोबाइल बन्द कर लिया गया। वापस आकर वादी मुकदमा द्वारा जब अपना पैसा व वैध पासपोर्ट मांगा गया तो अभियुक्तों द्वारा उन्हे गाली-गुफ्ता देते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

आकाश सिंह उर्फ अखिलेश सिंह पुत्र सुमन्त सिंह नि0 ग्राम बसडीला छोटा पो0 बडी तिवारी,जिला देवरिया

आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 14/2024 धारा 420,406,504,506,467,468,471 भादवि0 थाना चौरी चौरा गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 748/2022 धारा 406,420 भादवि थाना कोतवाली जनपद देवरिया।
3. मु0अ0सं0 970/2023 धारा 352,406,420,504 भादवि थाना कोतवाली जनपद देवरिया।

गिरफ्तार की टीम -

1. उ0नि0 अजीत कुमार यादव थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर।
2. उ0नि0 शिव कुमार यादव थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर।
3. कां0 सूरज कुमार यादव थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर।